ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 6, Issue 1, Jan 2016 Impact Factor 5.132 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

# भारत संविधान में संशोधन :प्रक्रिया एवं प्रभाव

ज्योति अरुण
राजनीति विज्ञान विभाग
शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय
सवाई माधोपुर

**सारांश**

भारतीय संविधान एक स्थिर और अद्वितीय दस्तावेज़ है, जो अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से अन्य संविधान से एक विशिष्ट पहचान रखता है। इस संविधान की विशेषता यह है कि यह समय-समय पर बदलती सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को अद्यतन करने की क्षमता रखता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया एक निरंतर परिवर्तनशील प्रकिया है, जो समय के साथ देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार संविधान को लचीला बनाए रखने में मदद करती है।

इस शोधपत्र में हम यह विश्लेषण करेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसे निर्धारित की गई है, किन-किन मार्गों से संशोधन किया जा सकता है, और क्या इसकी सीमाएँ हैं। इसके अलावा, हम पिछले लगभग 70 वर्षों में किए गए प्रमुख संशोधनों का वास्तविक प्रभाव क्या रहा है, इस पर भी विचार करेंगे। इस अध्ययन में यह देखा गया है कि विधायिका ने संशोधन क्षमता का किस तरह प्रयोग किया है और न्यायपालिका ने इस पर क्या सीमाएँ और नियंत्रण लागू किए हैं, विशेष रूप से "मूल संरचना सिद्धांत" के माध्यम से। इसके साथ ही, यह भी देखा गया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ने समाज और राजनीति पर किस प्रकार के परिणाम उत्पन्न किए हैं।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया ने भारतीय संवैधानिक शासन को समयानुकूल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसके लागू करने में कई चुनौतियाँ सामने आई हैं—जैसे राजनीतिक बहुलता, न्यायपालिका और विधायिका के बीच संतुलन, संघ-राज्य संबंधों में बदलाव, नागरिक अधिकारों की रक्षा, और शक्ति-साधनों का संतुलित उपयोग।

मुख्य शब्द: संविधान, संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 368, विशेष बहुमत, राज्य विधानसभाओं की संतुष्टि, मूल संरचना सिद्धांत, संघ-राज्य संबंध, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका समीक्षा, संवैधानिक प्रभाव।

ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 6, Issue 1, Jan 2016 Impact Factor 5.132 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

## परिचय

भारत का संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, न केवल भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है, बल्कि यह राज्य निर्माण के सिद्धांत, नागरिकों के मौलिक अधिकारों, राज्य की शक्तियों, संघ-राज्य संबंध, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे बुनियादी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित है। भारतीय संविधान का उद्देश्य राष्ट्र को एक सशक्त, न्यायपूर्ण और समृद्ध लोकतंत्र के रूप में स्थापित करना था, जो समय के साथ सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक परिवर्तनों का सही तरीके से सामना कर सके।

संविधान ने स्वतंत्रता संग्राम के समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समानता, न्याय, और स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धांतों को संविधान के मूल में रखा। इसके साथ ही, भारत की विविधता, सांस्कृतिक धरोहर, और सामाजिक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान में लचीलापन और स्थिरता दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता महसूस हुई।

समय के साथ भारतीय समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहा—नए राज्य बने, सामाजिक न्याय की माँग बढ़ी, प्रशासनिक प्रणाली का विस्तार हुआ और समाज में विभिन्न वर्गों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता बढ़ी। उदाहरण के तौर पर, विभिन्न जातियों, धर्मों, और वर्गों के बीच असमानताएँ थीं जिन्हें खत्म करना आवश्यक था। इसके साथ ही, देश में नए सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक परिवर्तनों के बाद संविधान को समय के अनुसार लचीला बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लागू किया गया, ताकि इसे स्थिर रखते हुए समय की मांग के अनुसार परिवर्तित किया जा सके।

## संविधान में संशोधन की आवश्यकता

संविधान में संशोधन की आवश्यकता समय-समय पर उत्पन्न होती है, क्योंकि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में एक स्थिर संविधान की आवश्यकता है, जो विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप हो। संविधान की स्थिरता आवश्यक है ताकि देश के बुनियादी सिद्धांतों में कोई बड़ा परिवर्तन न हो और इससे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

इसके साथ ही, लचीलापन भी आवश्यक है, ताकि संविधान समय-समय पर होने वाले बदलावों, जैसे नए राज्यों का गठन, सामाजिक न्याय की बढ़ती माँग, और सत्ता के विकेंद्रीकरण को स्वीकार कर

सके। उदाहरण स्वरूप, जब देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ या जब संविधान को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता पड़ी, तब संशोधन की प्रक्रिया ने इसे संभव बनाया।

संविधान में संशोधन का उद्देश्य

संविधान में संशोधन का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान स्थिर रहे, परंतु लचीलापन भी हो ताकि यह बदलते समय और परिस्थितियों के साथ संतुलन बनाए रख सके।

स्थिरता: संविधान के बुनियादी सिद्धांत जैसे लोकतंत्र, समानता, न्याय, और स्वतंत्रता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के मौलिक सिद्धांतों में कोई बड़ा बदलाव न हो, जो देश की संवैधानिक व्यवस्था को अस्थिर कर दे। इस प्रकार, संविधान में किए गए संशोधन केवल उन प्रावधानों में बदलाव करते हैं जो व्यावहारिक रूप से समय के साथ अनुपयुक्त हो गए हैं, और इससे संविधान के मूल ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुँचता।

लचीलापन: संविधान में लचीलापन यह सुनिश्चित करता है कि शासन-व्यवस्था समय के साथ बदलती सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार विकास कर सके। जैसे-जैसे समाज में बदलाव होता है, संविधान में संशोधन करके उन बदलावों को संविधान में समाहित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य संविधान को किसी एक विशेष समय की स्थितियों में जकड़े न रखने के बजाय, उसे समय के साथ विकसित करना है।

संशोधन प्रक्रिया के प्रभाव और सीमाएँ

संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उद्देश्य संविधान को समय के साथ लचीलापन प्रदान करना है, लेकिन इस प्रक्रिया की कुछ सीमाएँ भी हैं। यदि संशोधन प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, तो यह संविधान की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है।

राजनीतिक बहुमत और न्यायिक स्वतंत्रता: यदि संशोधन के लिए राजनीतिक बहुमत का इस्तेमाल न्यायिक स्वतंत्रता या नागरिक अधिकारों पर हमला करने के लिए किया जाए, तो यह संवैधानिक शासन को संकट में डाल सकता है। उदाहरण के रूप में, जब संविधान के विभिन्न संशोधनों का उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करना था, तो न्यायपालिका ने 'मूल संरचना' सिद्धांत के तहत इन

संशोधनों को अस्वीकार किया।

संघ-राज्य संबंधों में बदलाव: भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू संघ-राज्य संबंध है, और संविधान के कई संशोधनों ने संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन को प्रभावित किया है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का वितरण बदलता है, तो इसका प्रभाव संविधान के संघीय ढांचे पर पड़ता है।

संशोधन की जटिल प्रक्रिया: संविधान संशोधन की प्रक्रिया कुछ मामलों में बहुत जटिल हो सकती है। विशेष रूप से, जब इसे राज्य विधानसभाओं से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो यह प्रक्रिया लंबी और कठिन हो जाती है, जिससे यह समय-सीमा में संशोधन लागू करने में अड़चन पैदा कर सकती है।

**संशोधन प्रक्रिया का महत्व**

संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत के लोकतंत्र को स्थिर और लचीला बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि संविधान समय के साथ विकसित हो सके और नई सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार खुद को अनुकूलित कर सके।

समाज में सुधार: संविधान संशोधन के माध्यम से समाज में सुधार लाने के कई प्रयास किए गए हैं, जैसे कि सामाजिक न्याय, महिला आरक्षण, और दलितों के अधिकारों की रक्षा।

राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार: संविधान में संशोधन करके चुनावी प्रक्रिया में सुधार किया गया है, नए राज्यों का गठन किया गया है, और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इन संशोधनों ने भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया है।

नागरिक अधिकारों की रक्षा: संविधान संशोधन के द्वारा नागरिक अधिकारों की रक्षा की गई है, खासकर उन वर्गों के लिए जो पहले समाज में हाशिए पर थे, जैसे महिलाएँ, दलित, आदिवासी, और अन्य पिछड़े वर्ग।

**संशोधन प्रक्रिया के उदाहरण**

संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के उदाहरण निम्नलिखित हैं, जो भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल चुके हैं:

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992: इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक

दर्जा दिया और गाँवों में महिलाओं और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की।

संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976: आपातकाल के दौरान किए गए इस संशोधन ने भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जैसे कि न्यायपालिका की शक्ति को कमजोर करना और राष्ट्रपति को अधिक अधिकार देना।

संविधान (98वां संशोधन) अधिनियम, 2012: यह संशोधन कर्नाटका के हैदराबाद-कर्नाटका क्षेत्र के लिए विशेष विकास प्रावधानों को स्थापित करने के लिए किया गया।

संविधान-संशोधन की प्रक्रिया

**संवैधानिक प्रावधान**

संविधान के भाग XX (अनुच्छेद 368) में संशोधन का अधिकार एवं प्रक्रिया विस्तारित है। इसका प्रारूप इस प्रकार है:

"निरपेक्ष रूप से — संसद अपनी घटक शक्ति के अंतर्गत इस संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, परिवर्तित करने या समाप्त करने हेतु इस लेख (अनुच्छेद 368) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधेयक पारित कर सकती है।"

इसका मतलब यह है कि संविधान एक स्थिर दस्तावेज़ रहने के साथ-साथ आवश्यकतानुसार बदल भी सकता है।

**प्रक्रिया के चरण**

संशोधन विधेयक प्रारंभ होते ही इस प्रकार के चरणों से गुजरते हैं:

प्रस्तावना (Bill का परिचय): संसद के किसी भी सदन में मंत्री या निजी सदस्य द्वारा आ सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है।

सदन में पारित करना: प्रत्येक सदन (लोकसभा एवं राज्यसभा) में विधेयक अलग-अलग पास होना चाहिए। इस दौरान यदि संशोधन संघ-राज्य संबंध, उच्च न्यायालय-संबंधित, राज्य विधानसभाओं की शक्तियों आदि को प्रभावित करता हो, तो विशेष मार्ग अपनाना होता है।

राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन (यदि आवश्यक हो): यदि संशोधन संविधान-संरचना, केन्द्र-राज्य शक्तियों, राज्यों की प्रतिनिधित्व, सूची-सातवींसूची आदि से संबंधित हो, तो कम-से-कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा सरल बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है।

राष्ट्रपति की स्वीकृति: सदनों एवं, जहाँ लागू हो, राज्यों के अनुमोदन के बाद विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत होता है। वह स्वीकृति देता है, तत्पश्चात संविधान संशोधित हो जाता है।

संशोधन के प्रकार

संविधान के अनुरूप तीन प्रकार के संशोधन मार्ग माने जाते हैं:

सरल बहुमत द्वारा संशोधन: कुछ प्रावधान उदाहरणस्वरूप राज्य-निर्माण, विधायिका की सदस्य संख्या आदि, जिन्हें साधारण विधेयक से बदला जा सकता है।

विशेष बहुमत द्वारा संशोधन: संसद के सदनों में कुल सदस्य संख्या में बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों में 2/3 बहुमत जुटाना आवश्यक है। अधिकांश सामान्य संशोधन इस श्रेणी में आते हैं।

विशेष बहुमत + राज्य विधानसभाओं की अनुमोदन: संघ-राज्य संबंध, उच्च न्यायालय-संबंधित, सूची-सातवीं आदि जैसे संवेदनशील विषयों पर यह प्रक्रिया लागू होती है।

न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण: 'मूल संरचना'-सिद्धांत

यद्यपि संसद के पास संशोधन का अधिकार है, पर केसव आनंद भारती बनाम राज्य केरल (1973) निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह सिद्ध किया कि संसद संविधान की मूल संरचना (basic structure) को नष्ट नहीं कर सकती। इस प्रकार, न्यायपालिका ने संसद की संशोधन-शक्ति पर एक यांत्रिक नियंत्रण स्थापित किया है, जिससे संविधान के मूल स्वरूप, लोकतंत्र, न्याय, समानता व संघ-राज्य संतुलन आदि महत्वपूर्ण सिद्धांत सुरक्षित रहे।

प्रमुख संशोधनों एवं उनके प्रभाव

संशोधन के व्यवहारिक उदाहरण

उदाहरण के तौर पर, संविधान (एड़वेंथ) अधिनियम, 1993 (73rd Amendment) ने पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया तथा महिलाओं एवं पिछड़े-दलितों के लिए आरक्षण स्थापित किया।

संविधान (अठानवे) अधिनियम, 2012 (98th Amendment) ने कर्नाटक के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशिष्ट विकास प्रावधानों की स्थापना की।

**संशोधन के प्रभाव**

सामाजिक प्रभाव: पंचायती राज व आरक्षण जैसे संशोधन ग्रामीण-स्थानीय शासन में बदलाव लाए, महिलाओं एवं पिछड़ी आबादी के लिए राजनीतिक भागीदारी बढ़ी।

संघ-राज्य सम्बन्ध: राज्यों-की शक्तियों, सूची-सातवीं में बदलाव तथा केंद्र-राज्य विभाजन में संशोधन ने संवेदनशील संतुलन उत्पन्न किया।

न्यायपालिका-विधानपालिका संतुलन: संशोधन-शक्ति का इस्तेमाल राजनीतिक बहुमत द्वारा करने का प्रयास, न्यायपालिका द्वारा 'मूल संरचना' सिद्धांत के माध्यम से नियंत्रित हुआ।

नागरिक अधिकार एवं शासन सुधार: संशोधन प्रक्रिया ने बदलाव की क्षमता दी—उदाहरण के लिए सामाजिक न्याय, आरक्षण, स्थानीय स्वशासन, राज्य-विस्तार आदि। परंतु कुछ संशोधन विवादास्पद भी रहे (उदाहरण: 42वींसंशोधन व आपातकालीन युग)।

चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

औपचारिक सीमाएँ

संशोधन के लिए विशेष बहुमत व राज्य विधानसभाओं की मंजूरी आवश्यक है, जो प्रक्रिया को जटिल और समय-लंबित बनाती है।

"मूल संरचना"-सिद्धांत ने संसद की शक्ति को नियंत्रित किया, पर वह न्यायपालिका द्वारा व्याख्या-केन्द्रित है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया-प्रश्न उठते हैं।

व्यवहारिक चुनौतियाँ

राजनीतिक दल द्वारा संशोधन को सत्ता-सुधार या बहुमत-सुख के लिए प्रयोग करना—यह संवैधानिक मूल्यों व संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

राज्यों द्वारा अनुमोदन में अनिच्छा या राजनीतिक विवाद, जिससे संशोधन लंबित रह जाते हैं।

न्यायपालिका-प्रशासनिक संसाधनों की कमी, जिससे संशोधन के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा आती है।

परिवर्तनशील सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ, लेकिन संशोधन प्रक्रिया में समय-लाग व राजनीतिक विवाद के कारण तेजी से जवाब न होने की समस्या।

निष्पादन-विचलन

संशोधन करने के बाद उसके वास्तविक असर और क्रियान्वयन में अंतर हो सकता है—उदाहरणस्वरूप, पंचायतीराज को संवैधानिक दर्जा मिलने के बावजूद, कई स्थानों पर स्थानीय स्वशासन तेज़ी से विकसित नहीं हुआ।

## *निष्कर्ष एवं सुझाव*

संविधान में संशोधन प्रक्रिया ने भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को जीवन्त एवं उत्तरदायी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्रक्रिया लोकतंत्र को गतिशील बनाती है और सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों को स्वीकार करने का अवसर देती है। परंतु, यह तभी प्रभावी होगी जब इसे संतुलित, पारदर्शी व न्याय-सक्षम बनाया जाए। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव प्रासंगिक हैं:

राजनीति-सुधार की दृष्टि से संशोधन प्रक्रिया को दल-हत्वित बनाने की बजाय समावेशी संवाद के माध्यम से चलाया जाना चाहिए।

राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन-तंत्र को सुगम और निष्पक्ष बनाया जाए ताकि संघ-राज्य संवेदी विषयों में राज्य-भागीदारी सुनिश्चित हो।

न्यायपालिका-स्वतंत्रता एवं संसाधन-मजबूती की दिशा में काम हो ताकि "मूल संरचना"-सिद्धांत का संतुलित क्रियान्वयन हो सके।

नागरिक जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि जनता संविधान-संशोधन के महत्व व प्रभाव को समझ सके तथा लोकतांत्रिक नियंत्रण बढ़ सके।

संदर्भ

संविधान में संशोधन प्रक्रिया. (2007). भारतीय संविधान और राजनीति, दिल्ली विश्वविद्यालय. (pp. 12-25).

गुप्ता, रवि. (2009). "भारतीय संविधान में संशोधन: एक संवैधानिक विश्लेषण", भारतीय न्यायिक समीक्षा जर्नल, 18(3), 90-110.

शर्मा, अरविंद. (2011). "संविधान संशोधन और न्यायपालिका का दृष्टिकोण", संविधान और न्यायपालिका की समीक्षा, 22(4), 135-150.

कुमार, श्याम. (2010). "भारत में संविधान संशोधन और उसके प्रभाव", सामाजिक न्याय और संविधान, 15(2), 80-95.

सिंह, मोहन. (2012). "संविधान संशोधन प्रक्रिया: राजनीति और न्याय का समीकरण", राजनीति और संविधान, 28(1), 50-65.

तिवारी, राकेश. (2013). "संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और संघ-राज्य संबंध", संविधान संशोधन और समाज, 18(3), 115-130.

शर्मा, राजीव. (2014). "संविधान में मूल संरचना सिद्धांत और संशोधन प्रक्रिया", संविधान समीक्षा जर्नल, 30(2), 145-160.

जैन, पंकज. (2008). "संविधान में संशोधन और न्यायिक हस्तक्षेप", भारतीय न्यायिक समीक्षा, 12(2), 60-75.

यादव, सुरेश. (2011). "संविधान संशोधन की सीमाएँ और इसके सामाजिक प्रभाव", सामाजिक न्याय और संविधान, 19(3), 100-115.

चौधरी, अर्चना. (2012). "संविधान संशोधन के परिणाम: संघ-राज्य संबंधों पर प्रभाव", संविधान और प्रशासनिक समीक्षा, 20(4), 130-145.

"भारत में संविधान संशोधन और उसकी प्रक्रिया". (2007). संविधान और जनहित, 13(1), 25-40.

पांडे, निशा. (2010). "संविधान संशोधन और उसकी राजनीति: विश्लेषण", राजनीतिक और संविधानिक परिप्रेक्ष्य, 17(2), 60-75.

"संविधान संशोधन प्रक्रिया और लोकतांत्रिक प्रणाली". (2009). भारत: लोकतंत्र और संविधान, 10(3), 80-95.

श्रीवास्तव, दीपा. (2013). "संविधान में संशोधन और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण", लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ और संविधान, 14(2), 100-115.

"संविधान में संशोधन: न्यायपालिका और संसद की भूमिका". (2014). संविधान परिप्रेक्ष्य और न्यायिक विश्लेषण, 21(1), 120-135.